

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—792 / 2008
 संस्थित दिनांक—18.11.2008
 फाइलिंग क्र.234503000612008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,
 पश्चिम बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

चैतु वल्द डमरू बंजारा उम्र 60 वर्ष, जाति बंजारा,
 साकिन रजमा (बैहर), तहसील बैहर थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—24 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 39(2), 39(3), 43(1)क, 50, 51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—14.05.2007 को आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1550 वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में हाथ से बने बारूद गोले द्वारा एक वन्य प्राणी सुअर जो कि अनुसूची 3 में वर्णित है, का अवैध शिकार किया एवं उक्त सुअर को काट पीटकर उसका कच्चा मांस मोहल्ले पड़ौस को विक्रय कर शेष मांस को स्वयं के खाने के लिये पकाया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 14.05.2007 को आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1550 में हाथ से बने बारूद के गोले द्वारा एक वन्य प्राणी जंगली सुअर, जो कि अनुसूची 3 में वर्णित है, का अवैध शिकार किया गया है एवं उसे काटपीट कर उसका कच्चा मांस मोहल्ले पड़ौस में बिक्री किया गया तथा शेष मांस को आरोपी ने अपने घर में स्वयं खाने के लिये पकाया। उक्त सूचना पर आरोपी को मौके पर पाकर उसके घर से 250 ग्राम पका हुआ मांस वन्य प्राणी जंगली सुअर का, कुल्हाड़ी, हसिया जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार कर पी.ओ.आर. क्रमांक 996 / 11

दिनांक 18.05.07 धारा 9, 39, 43, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 39(2), 39(3), 43(1)क, 50, 51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1— क्या आरोपी ने दिनांक—14.05.2007 को आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1550 वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में हाथ से बने बारूद गोले द्वारा एक वन्य प्राणी सुअर जो कि अनुसूची 3 में वर्णित है, का अवैध शिकार किया ?

2— क्या आरोपी ने शिकार किये गये उक्त वन्य प्राणी सुअर को काट पीटकर उसका कच्चा मांस मोहल्ले पड़ौस को विक्रय कर शेष मांस को स्वयं के खाने के लिये पकाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— हरिशचंद लिल्हारे (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.05.2007 को परिक्षेत्र सहायक के पद पर बैहर में कार्यरत् था तब उसे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिंगबाघ बैहर में जंगली सुअर काटा जा रहा है तो वह उक्त सूचना पर स्टाप सहित मौके पर गया था। उक्त सूचना पर वह आरोपी के घर गया था वहां सुमरन ने उसे बताया कि आरोपी चैतु जंगल से सुअर का मांस एक बोरे में रखकर लाया है और उसके घर में काटा है। उक्त दिनांक को ही उसने साक्षी सुमरनसिंह का बयान प्रदर्श पी—8 लेख किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 18.05.2007 को आरोपी चैतुसिंह से जंगली सुअर का मांस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14.05.2007 को प्रदर्श पी—3 का पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ओ.आर प्रर्दा पी—1 उसके समक्ष आरोपी चैतुसिंह के विरुद्ध में काटा गया था जिस पर उसके

हस्ताक्षर है। मौका पंचनामा प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 विवेचना के दौरान उसके समक्ष तैयार किया गया था जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.05.2007 को आरोपी चैतुसिंह का कथन उसके द्वारा लेख किया गया था जिसमें उसने बताया था कि तन्नौर नदी के किनारे सुअर का गारा पड़ा हुआ था जिसे उसने उठाकर लाया हूँ और सुमरनसिंह के घर काटकर पकाकर खाये है जो प्रदर्श पी-7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं उस पर आरोपी अंगूठा निशानी भी लिया था। दिनांक 18.05.2007 को आरोपी को उसके द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं उस पर आरोपी अंगूठा निशानी भी लिया था। दिनांक 20.08.2007 को साक्षी गनपत, दिनांक 14.09.2008 को अनुपसिंह गुड्डा, महिपाल, ईमरत, दिनांक 18.05.2008 को साक्षी वनरक्षक खेमलाल पंचेश्वर, दिनांक 27.09.2007 को साक्षी बाला चौहान, दिनांक 10.10.2008 को उसने अपना बयान प्रकरण में संलग्न किया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर सुमरन के घर गया तो वहां पर आरोपी चैतु उपस्थित नहीं था और मौके पर कथित मांस की जप्ती आरोपी चैतु से नहीं की गई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 में 14.05.2008 का उल्लेख है तथा दिनांक 18.05.2007 का भी उल्लेख है। इस संबंध में साक्षी ने कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्र में स्थान का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही जप्ती पंचनामा त्रुटिपूर्ण तैयार किया जाना एवं कथित जप्ती के संबंध में परस्पर विरोधाभास कथन करने से साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही सन्देहास्पद प्रकट होती है।

7— नरसिंह चन्देल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 14.05.2007 को परिसर बैहर में वनरक्षक के पद पर कार्यरत था तब उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक जंगली सुअर का शिकार किया गया है और उसको मारकर सुमरनसिंह के मकान में रखा गया है। सूचना के आधार पर सुमरनसिंह के यहां से ग्राम सिगबाघा से जंगली सुअर का पका हुआ मांस जप्त किया था। सुमरनसिंह ने बताया कि चैतु बंजारा निवासी रजमा मांस लेकर उसके घर आया और उसे बिना पैसे का मांस दिया था। उसके द्वारा आरोपी चैतुसिंह से जंगली सुअर का मांस 250 ग्राम साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया गया

था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी चैतुसिंह के विरुद्ध उसके द्वारा प्रदर्श पी-1 की पी.ओ.आर काटी गई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौका पंचनामा प्रदर्श पी-4 परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उप वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर मौका स्थल का नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-16 अपनी हस्तलिपि में लिखकर परिक्षेत्र सहायक बैहर को दिया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी चैतु के पास से या उसके घर से मांस जप्त नहीं हुआ। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कक्ष क्रमांक 1550 जंगल है और खुला स्थान है जहां कोई भी आ जा सकता है तथा मांस खाने वाले जानवर भी घटनास्थल पर पाये जाते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा में दो अलग-अलग दिनांक का उल्लेख है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त गलती हो गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौका पंचनामा प्रदर्श पी-4 में कोई मांस नहीं मिला तथा वहां पर मौके पर आरोपी भी मौजूद नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने घटनास्थल भी नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी विभागीय साक्षी होते हुये प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य को स्वीकार करने से यह प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी व विवेचक के द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही कर मामला तैयार किया है।

9— आर.जी.नागरे (अ.सा.2) ने अपने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 18.05.2007 को पश्चिम बैहर वन परिक्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसी दौरान उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा पी.ओ.आर क्रमांक 996/11 की विवेचना पश्चात् चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था चालान के पूर्व उसने विवेचना के दस्तावेजों को सत्यापित किया था। प्रदर्श पी-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर उसने सत्यापित स्वरूप किये थे। परिवाद पत्र प्रदर्श पी-18 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था केवल विवेचना की कार्यवाही सत्यापित कर परिवाद पेश किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसने परिवादी के रूप में मात्र परिवाद पेश किया है।

10— सुमरन (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह हाजिर न्यायालय आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह दस्तावेजों पर अंगूठा लगा है उसे हस्ताक्षर नहीं करते आता है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह सिंगबाघ में रहता है एवं उसका मकान रोड़ पर है तथा घटना के समय चंदेल लिल्हारे आरोपी को साथ में लेकर उसके घर पानी पीने आया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके घर से रजमा दो किलोमीटर दूर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रजमा से बैहर आने पर उसका मकान रोड़ पर पड़ता है तथा संतलाल पिता हिरदू का मकान उसके मकान के पास में है एवं आरोपी ने बड़े पीस को छोटे पीस में बदलते हुये देखा था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उक्त मांस सुअर का था एवं उसके सामने संतलाल को छः किलोग्राम सुअर का मांस दिया था तथा सुअर का मांस पचास रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचा था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसे एक किलोग्राम सुअर का मांस बगैर पैसे के दिया था एवं उक्त एक किलोग्राम मांस को उसके घर में पकाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह एक कड़ाई में पका हुआ मांस, मांस काटने का लकड़ी का टुकड़ा एवं कुल्हाड़ी दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने हसिया भी दिया था एवं हसिया में खून लगा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपना बयान एच.सी.लिल्हारे को देते समय गवाह अनूप और गुंठा मरकाम भी थे।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने कोई मांस नहीं लाया था और न ही वन विभाग वालों को उसने पका मांस दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वन विभाग वाले लकड़ी का टुकड़ा व कुल्हाड़ी उसके घर से जबरदस्ती ले गये थे। साक्षी ने वन विभाग वालों को बयान देने से भी इन्कार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी होते हुये भी जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, बल्कि साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण एवं आधारहीन कार्यवाही कर मामला तैयार किया है।

12— ईमरतसिंह मरकाम (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी चैतुसिंह को जानता है। वह दिनांक 14.05.2007 को बैहर वीट में सुरक्षा

श्रमिक का कार्य करता था। उस समय वह वनरक्षक नरसिंह चंदेल के साथ गश्ती में सिंगबांध की ओर गया था। उसके समक्ष मौका नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पूछताछ के दौरान उसने अपना बयान प्रदर्श पी-13 दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह बताया है कि आरोपी चैतु उर्फ डमरू ने अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि मृत जंगली सुअर तन्नौर नदी के सिंगबांध सरहद पर जंगल में पाया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कक्ष क्रमांक 1550 पर आरोपी की निशादेही पर जंगली जानवर का खून जमीन पर जमा हुआ पाया गया था जो पूर्णतः काला हो गया था एवं घटनास्थल पर बाल एवं हड्डी के टुकड़े पाये गये थे तथा उक्त बाल जंगली सुअर के थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष पार्षद बाला चौहान ने प्रदर्श पी-9 एवं गनपत ने प्रदर्श पी-17 का कथन दिया था जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मौका पंचनामा प्रदर्श पी-4 में परिक्षेत्र कार्यालय में लिखापट्टी होने के बाद उसने हस्ताक्षर किया था तथा उस समय कौन व्यक्ति उपस्थित थे उसे याद नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बाला चौहान ने क्या कथन दिया था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षी बाला चौहान के कथन में साक्षी के रूप में लिहारे साहब के कहने पर कार्यालय में हस्ताक्षर किया था क्योंकि वह उसके अधीनस्थ कार्यरत था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बाला चौहान से पूछताछ करते समय वह उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी विभागीय साक्षी होते हुये भी परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं तथा साक्षी के कथन से अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

14— बाला चौहान (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है। उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। प्रदर्श पी-9 के कथनों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके उक्त हस्ताक्षर कार्यालय वन विभाग वालों ने करवाये थे। उसके सामने आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आरोपी चैतु का कथन प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-6 एवं 7 पर उसने हस्ताक्षर परिक्षेत्र कार्यालय में किये थे। उसके सामने

आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर भी उसने परिक्षेत्र कार्यालय में किये थे। उसके सामने आरोपी से वन अपराध से संबंधित कोई सामान की जप्ती नहीं की गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी से उसके समक्ष वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस 250 ग्राम जप्त किया गया था एवं उसने वन विभाग वालों को प्रदर्श पी-9 का बयान दिया था तथा उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी चैतु से उसके समक्ष पूछताछ की गई थी एवं उसके समक्ष आरोपी ने अपना बयान दिया था तथा उसने वन विभाग वालों के दबाव में आकर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिन दस्तावेजों, पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे वे कोरे थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

15— गनपतलाल (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने लिल्हारे के कहने पर प्रदर्श पी-7 और 17 में हस्ताक्षर कर दिये थे। प्रदर्श पी-7 तथा प्रदर्श पी-17 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। घटना के संबंध में उसने वन विभाग वालों के समक्ष कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी चैतु से उसके समक्ष जंगली सुअर का मांस जप्त किया गया था एवं आरोपी ने जंगली सुअर का मांस लाकर काटने का अपराध स्वीकार किया था तथा आरोपी के अपराध स्वीकार करने पर उसके समक्ष आरोपी के कथन लेख किये गये थे। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि लिल्हारे ने महिपालसिंह व ईमरतसिंह के समक्ष उसके कथन प्रदर्श पी-17 लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे कथित अपराध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा उसने लिल्हारे साहब के कहने पर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-17 पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

16— महिपालसिंह बैस (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 25.05.2007 को बिजौरा वीट में श्रमिक का कार्य करता था किन्तु वह बैहर में निवास करता था। उक्त बिजौरा वीट परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के तहत आता है। उसके

नरसिंह चंदेल वनरक्षक तथा एस.सी.लिल्हारे वन परिक्षेत्र सहायक के द्वारा सूचना दी गई थी कि जंगल में सुअर मारा गया है जिसका स्थल देखने चलना है फिर वह उन अधिकारियों के साथ तन्नौर नदी के पास कक्ष क्रमांक 1550 में गया था। कक्ष क्रमांक 1550 की जमीन पर खून जमा हुआ दिखा था जो काला हो गया था तथा बाल एवं हड्डी का टुकड़ा मिला था। बाल देखने से जंगली सुअर का लग रहा था। उसके समक्ष मौका पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया था। उसने अपना कथन परिक्षेत्र सहायक को दिया था जो प्रदर्श पी-12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष बाला चौहान व गनपत के कथन हुये थे जो प्रदर्श पी-8 एवं 18 हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर मिली सामग्री को जप्त किया गया था या नहीं, उसे याद नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जंगल में पड़ी हुई हड्डी व मांस खाने वाले बहुत से जानवर रहते हैं। साक्षी के कथन से मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 के अनुसार कथित बाल व हड्डी का टुकड़ा जप्त होना मान भी लिया जाये तो भी साक्षी के कथन से महत्वपूर्ण समर्थन अभियोजन पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इस साक्षी के द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध कारित करने के संबंध में कोई कथन प्रकट नहीं किये गये हैं।

18— प्रकरण में संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही हरिशचंद लिल्हारे (अ.सा.3) के द्वारा अकेले पूर्ण की गई है। उक्त जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही में तात्त्विक त्रुटि होना प्रकट होता है। जिन स्वतंत्र साक्षीगण को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उन्होंने अपनी साक्ष्य में आरोपी से कथित जप्ती किया जाना नहीं बताया है। वास्तव में अभियोजन का मामला भी यह है कि आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि कथित सूचना के आधार पर जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित जंगली सुअर का मांस जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 के अनुसार जप्त करना बताया गया है, जबकि जप्ती अधिकारी हरिशचंद लिल्हारे (अ.सा.3) के अनुसार उसने कथित मांस की जप्ती साक्षी सुमरनसिंह के घर से किया जाना बताया है। साक्षी सुमरनसिंह (अ.सा.1) ने उक्त कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। वास्तव में यदि सुमरनसिंह के घर से जप्ती की गई तो सुमरनसिंह को भी आरोपी बनाया जाना था, किन्तु उसे अभियोजित न किये जाने का कोई कारण अभियोजन पक्ष

की ओर से पेश नहीं किया गया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः सन्देहास्पद प्रकट होती है।

19— मामले में आरोपी से कथित जंगली सुअर के मांस की जप्ती होना प्रमाणित नहीं है, बल्कि उससे कोई जप्ती की कार्यवाही किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। आरोपी को किसी भी साक्षी के द्वारा कथित वन्य प्राणी के शिकार किये जाने के संबंध में देखा नहीं गया है और न ही उसके आधिपत्य से कथित वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस या चमड़ा या अन्य वस्तु की जप्ती की गई है। ऐसी दशा में आरोपी की कथित स्वीकारोक्ति, जिसकी स्वतंत्र साक्षीगण से पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी स्वीकारोक्ति मात्र के आधार पर अभियोजन का मामला अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

20— आरोपी से कथित वन्य प्राणी के चमड़े व अवयव या मांस की विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है और न ही कथित मांस की शिनाख्ती हेतु फोरेन्सिक रिपोर्ट या विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र पेश किया गया है। वास्तव में आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः सन्देहास्पद प्रकट होता है।

21— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक—14.05.2007 को आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1550 वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में हाथ से बने बारुद गोले द्वारा एक वन्य प्राणी सुअर जो कि अनुसूची 3 में वर्णित है, का अवैध शिकार किया एवं उक्त वन्य प्राणी सुअर को काट पीटकर उसका कच्चा मांस मोहल्ले पड़ौस को विक्रय कर शेष मांस को स्वयं के खाने के लिये पकाया। फलतः आरोपी चैतु को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 39(2), 39(3), 43(1)क, 50, 51 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

22— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट